इकाई 33 बहिर्गमन नीति और सामाजिक सुरक्षा

इकाई की रूपरेखा

33.0 उद्देश्य
33.1 प्रस्तावना
33.2 औद्योगिक रुग्णता
  33.2.1 औद्योगिक रुग्णता एक दृष्टि में
  33.2.2 रुग्णता के कारण
33.3 बहिर्गमन बाधाएँ
  33.3.1 मुद्दों की समीक्षा
  33.3.2 परिसमापन
  33.3.3 पुनर्गठन
  33.3.4 पुनर्गठन में कानूनी बाधाएँ
  33.3.5 नौकरी सुरक्षा प्रावधान
33.4 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका
33.5 राष्ट्रीय नवीकरण कोष
33.6 सारांश
33.7 शब्दावली
33.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
33.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

33.0 उद्देश्य

इस इकाई में औद्योगिक रुग्णता और बहिर्गमन (एग्ज़िट) की समस्या पर चर्चा की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- स्वतंत्र बहिर्गमन का महत्त्व जान पाएँगे;
- औद्योगिक रुग्णता में प्रवृत्ति समझ पाएँगे;
- बहिर्गमन की कानूनी बाधाओं का अध्ययन कर सकेंगे;
- सरकार के बहिर्गमन विनियम को समझ सकेंगे; और
- इनके कार्यान्वयन के लिए व्यवहार्य नीतियाँ खोज सकेंगे तथा कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे।

33.1 प्रस्तावना

1980 के दशक के आरम्भ में, यह देखा गया था कि बड़ी संख्या में फर्में या तो पूरी तरह से दिवालिया हो गईं थी अथवा दिवालिया होने ही वाली थी और अत्यन्त ही विस्मयजनक है कि इन फर्मों में से कई उद्योगों से निकल नहीं पा रहे थे। सामान्य निकास (बहिर्गमन) मार्ग में अनेक बाधाएँ थीं जो विरोधाभासी विधानों (मुख्यत: 1970 के दशक में पारित) और संरक्षणवाद के चरमोत्कर्ष के दौरान अपनाई गई नीतियों द्वारा असावधानीवश पैदा हो गई थी। पहली समस्या पर ध्यान देने के लिए सरकार ने एक नया कानून रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (SICA) पारित किया जिसके अंतर्गत एक विनियामक निकाय द्वारा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के माध्यम से ऐसे फर्मों की प्रत्यक्ष निगरानी अपेक्षित थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन फर्मों को मुख्य रूप से गैर-बाज़ार साधनों जैसे राजसहायता, बाज़ार संरक्षण और प्रौद्योगिकी में प्रशासित सुधार द्वारा फिर से स्वस्थ करना था।

दूसरी समस्या, जो हालाँकि पहली समस्या से ही संबंधित है, पर 1991 तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस समस्या में घरेलू और विदेशी निवेशकों द्वारा बहिर्गमन बाधाओं, जो न सिर्फ संकटग्रस्त फर्मों के लिए ही समस्या खड़ी कर रहे थे अपितु भावी निवेश को भी हतोत्साहित कर रहे थे, को दूर करने की व्यापक माँग की थी।

प्रतिक्रियास्वरूप, वित्त मंत्रालय ने पुनर्गठन और परिसमापन के संपूर्ण ढाँचे की फिर से जाँच करने के लिए 1993 में औद्योगिक रुग्णता और कारपोरेट पुनर्गठन संबंधी समिति (CISCR) गठित की थी। समिति ने अपने प्रतिवेदन में बी आई एफ आर की अक्षमता से लेकर कानूनी बाधाओं तक अनेक कारकों का उल्लेख किया और महत्त्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की। इस प्रतिवेदन ने तत्काल बौद्धिक वाद-विवाद और नई नीतिगत पहलों का आधार प्रस्तुत किया किंतु दुर्भाग्यवश इसे कार्यरूप नहीं दिया जा सका और बहिर्गमन नीति की रचना अथवा पुनर्रचना का कार्य आज तक अपूर्ण है।

इस पृष्ठभूमि में हम दो सरल प्रश्नों से शुरू कर सकते हैं : बहिर्गमन इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है? बहिर्गमन नीति यथार्थत: क्या है? पहला प्रश्न सैद्धान्तिक है, और दूसरा मुख्यत: कार्य संबंधी।

बहिर्गमन का महत्त्व पता लगाने के लिए हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण में खुले बाज़ार की भूमिका को समझना होगा जिसे ऐडम स्मिथ ने 'अदृश्य हाथ' कहा है। 'अदृश्य हाथ' फर्मों के बीच अत्यन्त ही भद्दी लड़ाई जिसे प्रतियोगिता कहा जाता है का संचालन करता है और जीतने वाले को पुरस्कृत तथा हारने वाले को खाली हाथ लौटा देता है। अतएव, खुले बाज़ार के खेल में यह आवश्यक है कि हारने वाला (अर्थात दिवालिया फर्म) हट जाए। अर्थशास्त्रियों की भाषा में, फर्मों का बाज़ार में प्रवेश और इससे बहिर्गमन स्वतंत्र होना चाहिए। इसी सैद्धान्तिक कारण से बहिर्गमन महत्त्वपूर्ण है।

सुधार के एक दशक में सरकार ने प्राय: सभी उद्योगों से क्षमता प्रतिबंध और प्रशासनिक प्रवेश (Entry) बाधाओं को समाप्त कर दिया है। यहाँ तक कि अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी निवेश का भी स्वागत है। किंतु ये सभी उपाय सिर्फ प्रवेश और बाज़ार पहुँच की दिशा में किए गए हैं और बहिर्गमन के संबंध में बहुत ही कम किया गया है। इसलिए बहिर्गमन नीति की बहुत ही लम्बे समय से आवश्यकता थी।

किंतु बहिर्गमन नीति का यथार्थत: अभिप्राय क्या है? आदर्श रूप में, यह अनेक मुद्दों मुख्यत: औद्योगिक रुग्णता, छँटनी, रुग्ण फर्मों के पुनर्गठन और बंद इकाइयों के परिसमापन से संबंधित परस्पर संगत नीतियों का समूह है। इस समय, पुरानी नीतियाँ और विधान जिन्होंने बहिर्गमन प्रक्रिया को जटिल बना दिया था, अभी भी मौजूद हैं और सम्यक् बहिर्गमन नीति की खोज अभी भी जारी है।

इस इकाई में हम बहिर्गमन समस्या और इसके कुछ मुख्य आयामों पर चर्चा करने जा रहे हैं और आशा है कि आप यह समझ सकेंगे कि सरकार के सामने कौन से विकल्प हैं तथा प्रभावी बहिर्गमन नीति तैयार करने में यह किन दुविधाओं से ग्रस्त है।

बोध प्रश्न 1

1) खुले बाज़ार में बहिर्गमन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) बहिर्गमन नीति की त्तकाल आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

33.2 औद्योगिक रुग्णता

33.2.1 औद्योगिक रुग्णता एक दृष्टि में

बहिर्गमन विवाद के केन्द्र में औद्योगिक रुग्णता की समस्या है जिसका अभिप्राय फर्म की वित्तीय स्थिति है। रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम के 1992 के संशोधन द्वारा एक उत्पादन इकाई को रुग्ण कहा जाएगा यदि यह (क) इकाई पाँच वर्षों से पंजीकृत है, और (ख) इसका संचित घाटा इसकी निवल सम्पत्ति से अधिक है। निवल सम्पत्ति बकाया देनदारी घटा कर परिसम्पत्ति का मूल्य है।

औद्योगिक रुग्णता की प्रवृत्ति और इसकी विकरालता का अनुमान तालिका 33.1 को पढ़ कर लगाया जा सकता है। दो स्रोतों से हम रुग्णता के संबंध में आँकड़े एकत्र कर सकते हैं : भारतीय रिजर्व बैंक और बी आई एफ आर। यहाँ हम आर बी आई आँकड़ों का उल्लेख कर रहे हैं।

1980 के बाद बीस वर्षों में रुग्ण हुई लघु इकाइयों की संख्या में 13 गुणी वृद्धि हुई और रुग्ण हुई मध्यम और बृहत् इकाइयों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। दोनों ही प्रकार के फर्मों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। किंतु इससे भी अधिक चिन्ता की बात इन इकाइयों में फंसी बैंक ऋण की राशि है। यद्यपि कि दोनों ही मामलों में ऋण की कुल राशि में वृद्धि हो रही है, प्रति इकाई आधार पर, प्रत्येक ग़ैर लघु इकाई में 1999 की स्थिति के अनुसार 5 करोड़ रु. से अधिक की राशि अवरुद्ध थी। यह 1980 के आँकड़ों से पाँच गुणा अधिक था। इसके विपरीत, औसत रुग्ण लघु इकाई में अवरुद्ध ऋण की राशि इस अवधि के दौरान 1.40 लाख रु. के करीब पर प्राय: स्थिर रही।

यह ध्यान रखा जाए कि (1992 से पूर्व) 'रुग्ण' कंपनियों संबंधी आँकड़ों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ सम्मिलित नहीं हैं। अतएव, सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में कुछ अलग टिप्पणी करनी चाहिए। सी आई एस सी आर प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि 1989-90 में 98 सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम घाटा पर चल रहे थे, इसमें प्रत्येक से औसत 20 करोड़ रु. का वार्षिक घाटा हो रहा था। 1999 में यह आँकड़ा बढ़कर 263 इकाइयों तक पहुँच गया जिनमें से प्रत्येक पर बैंक का औसत 1117.49 करोड़ रु. बकाया था। इस भारी ऋण की तुलना में निजी क्षेत्र का आँकड़ा तुच्छ प्रतीत होगा।

तालिका 33.1 : रुग्ण इकाइयों और बकाया ऋण का संचयी आँकड़ा

इकाइयाँ	1980	1986	1992	1999
ग़ैर-लघु इकाइयाँ	1401	1964	2427	2,792
प्रति रुग्ण ग़ैर-लघु इकाई बकाया ऋण (लाख रु. में)	107.03	181.55	380.75	542.62
लघु इकाइयाँ	23,149	1,45,776	2,33,441	3,06,221
प्रति रुग्ण लघु इकाई बकाया ऋण (लाख रु. में)	1.32	0.89	1.43	1.41

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 1994-95 और 2000-01 और सेण्टर फॉर मॉनिटरिंग दि इंडियन इकॉनोमी (सी एम आई ई) प्रकाशन

33.2.2 रुग्णता के कारण

व्यापार की दुनिया में घाटा उठाना असामान्य नहीं है। जैसा कि हमने आरम्भ में उल्लेख किया है बाज़ार एक रणक्षेत्र है जहाँ फर्में हर संभव क्षेत्र में चाहे यह उत्पाद हो, तकनीकी हो अथवा उत्पादन लागत हो एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। इसलिए कुछ फर्म अंत: हानि उठाएँगी और हमारी परिभाषा के अनुसार उन्हें रुग्ण कहा जाएगा।

विद्यमान शोध ने रुग्णता के अनेक कारकों की पहचान की है जो अलग-अलग उद्योगों के लिए अलग अलग हैं: (क) अन्य उत्पादों से प्रतियोगिता अथवा माँग में कमी (उदाहरण: जूट उद्योग), (ख) फर्म विशिष्ट कारक जैसे प्रौद्योगिकी का पुराना होना (उदाहरण: वस्त्र उद्योग), (ग) लघु उद्योग आरक्षण नीति, और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र अयुक्तियुक्त्ता (उदाहरण: एन टी सी मिल, ईस्को, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स इत्यादि) और (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अगंभीर प्रथाओं ने संभवतया रुग्णता में योगदान किया।

उल्लिखित पाँच कारणों में से पहले दो कुछ-कुछ मुख्यत: आर्थिक शक्तियों द्वारा निर्धारित अन्तर्जात कारण हैं और इसलिए इन्हें मानक माना जा सकता है। दूसरी ओर अंतिम तीन कारण सरकारी नीतियों के परिणाम हैं। लम्बे समय तक सरकार की लघु उद्योग नीति में अनन्य रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उत्पादों की लम्बी सूची आरक्षित है। किंतु इसमें एक समस्या थी, इस नीति का लाभ उठाने के लिए फर्म को अनिवार्य रूप से लघु (पूंजी राशि से) ही रहना था। इसके कारण छोटी क्षमता और पिछड़ी प्रौद्योगिकी का चयन किया गया जिससे बहुधा अक्षमता आई।

सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र नीति भी कई उद्योगों में अयुक्तिसंगत रही है। उदाहरणस्वरूप वस्त्र उद्योग क्षेत्र में, सरकार ने कई निजी वस्त्र मिलों (जो अत्यन्त ही पुराने थे) का राष्ट्रीयकरण किया और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बदल दिया जिसे एन टी सी मिल के नाम से जाना जाता है। किंतु बाद में इन मिलों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया। दूसरी प्रकार की अयुक्तियुक्त्ता आर्थिक व्यवहार्यता की उपेक्षा करते हुए सामाजिक हितों की परियोजनाओं को शुरू करना है। उदाहरणस्वरूप, वायुदूत जिसे सम्प्रति 'एलायन्स एयर' के नाम से जाना जाता है, का सृजन स्पष्ट रूप से सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था जबकि इसका आर्थिक भविष्य संदेहास्पद था।

सी आई एस सी आर प्रतिवेदन में राष्ट्रीयकृत बैंकों और मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं की आर्थिक रूप से अलाभप्रद परियोजनाओं के वित्तपोषण की आलोचना की गई है। समिति ने परियोजना मूल्यांकन की उनकी पद्धति पर भी प्रश्न किया है।

बोध प्रश्न 2

1) एक रुग्ण इकाई की परिभाषा क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) औद्योगिक रुग्णता की प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

3) संक्षेप में रुग्णता के कुछ कारणों की चर्चा कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

4) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) लघु औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम के अंतर्गत कोई भी घाटा उठा रही कंपनी रुग्ण इकाई है। ( )

ख) रुग्ण इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। ( )

ग) बृहत् और मध्यम फर्मों के लिए प्रति रुग्ण इकाई बकाया बैंक ऋण की राशि में कमी आई है। ( )

घ) औद्योगिक रुग्णता मुख्य रूप से निजी क्षेत्र की समस्या है। ( )

33.3 बहिर्गमन बाधाएँ

33.3.1 मुद्दों की समीक्षा

औद्योगिक रुग्णता की समस्या को बहिर्गमन के साथ सम्बद्ध करने से पूर्व हमें तीन मुद्दों को अलग करना चाहिए: (क) औद्योगिक रुग्णता, (ख) रुग्ण इकाइयों का पुनर्गठन, और (ग) परिसमापन (अथवा बहिर्गमन)। चिकित्सीय सादृश्यता के रूप में पहला मुद्दा स्वास्थ्य के रख-रखाव, दूसरा रुग्ण होने के पश्चात् उपचार की प्रक्रिया, और तीसरा जब उपचार का लाभ नहीं होता है तब अन्त्येष्टि की तैयारी करना है। औद्योगिक रुग्णता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखने के पश्चात् यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पुनर्गठन और परिसमापन त्वकाल किए जाने की आवश्यकता क्यों है।

इस भाग में, हम परिसमापन से संबंधित कुछ मुद्दों और पुनर्गठन में कुछ कानूनी अड़चनों की चर्चा करेंगे जबकि अगले भाग में बी आई एफ आर की भूमिका की चर्चा की गई है।

33.3.2 परिसमापन

हमें परिसमापन के बारे में चिन्ता क्यों करना चाहिए? इसके अनेक कारण हैं। पहला, अशोधित (अदत्त) ऋण वित्तीय संस्थाओं के लिए चालू आय घाटा और वैकल्पिक निवेश से वंचित रहने दोनों दृष्टियों से प्रत्यक्ष घाटा है। श्रमिकों को भी अपनी वर्तमान और भावी आय की दृष्टि से घाटा होता है। दूसरा, रुग्ण इकाई को दी गई कोई भी राज सहायता सरकारी राजकोष पर बोझ है। इसकी तुलना में तद्नुरूपी कल्याण लाभ (जैसे नौकरियों को बचा पाना) अत्यन्त ही कम है। तीसरा, उत्पादन इकाई के एक बार बंद हो जाने (निजी क्षेत्र की भाँति) किंतु परिसमापन नहीं होने की स्थिति में, परिसम्पत्तियों के अवमूल्यन की संभावना रहती है जिससे इसका भावी निस्तारण मूल्य भी घटता है। विशेष रूप से, संयंत्रों और मशीनों का मूल्य ह्रास तेज़ी से होता है, (पुराने फर्मों में हो

सकता है इनका पहले ही मूल्य ह्रास हो चुका हो) और श्रमिक अपना कौशल और प्रेरणा खो सकता है। एक मात्र परिसम्पत्ति जिसका मूल्य मिल सकता है वह भूमि भवन है। अंत:, रुग्ण इकाइयों को राजसहायता पर चलते रहने देने का एक और गंभीर परिणाम उद्योग में अन्य फर्मों के बीच रुग्णता का प्रसार करना है। यदि हम माँग और पूर्ति वक्र की दृष्टि से एक उद्योग के बारे में विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट है कि एक और फर्म के प्रवेश की अनुमति देने से (जो अन्यथा सन्तुलन में नहीं टिक सकती है) पूर्ति वक्र बाहर की ओर खिसकेगा जिसके परिणामस्वरूप बाज़ार मूल्य में गिरावट आएगी। किंतु तब यह कम मूल्य सीमान्त कुछ फर्मों को अलाभप्रद बना सकता है। इस प्रकार विरोधाभासी रूप से रुग्ण फर्मों को प्रचालन की अनुमति देने की नीति से रुग्ण होने वाले फर्मों की संख्या बढ़ सकती है।

33.3.3 पुनर्गठन

ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई भी कारण मौजूद नहीं था, फिर भी रुग्ण कंपनियों के पुनर्गठन में समस्या रही है। अनेक बाधाएँ हैं जो पुनर्गठन के रास्ते में आती हैं। पहला किसी भी व्यापक परिवर्तन में ट्रेड यूनियन का विरोध है। दूसरे प्रकार की समस्या कानूनी पक्ष से है। श्रम और भूमि से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण कानून हैं जिन्होंने पुनर्गठन को कठिन बना दिया है। तीसरी समस्या स्वंय सरकार और इसकी शीर्षस्थ विनियामक निकाय बी आई एफ आर की ओर से आती है जिसे बाद में स्पष्ट किया जाएगा।

33.3.4 पुनर्गठन में कानूनी बाधाएँ

एक फर्म के पुनर्गठन के विभिन्न साधनों में तीन महत्त्वपूर्ण विकल्प हैं: श्रम बल का पुनर्गठन (संख्या कम करना, पुन: प्रशिक्षण इत्यादि), प्रौद्योगिकी उन्नयन और संसाधन जुटाने के लिए बेकार पड़ी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि की बिक्री। पहले दो विकल्पों में श्रमिक संघों के प्रतिरोध, जिससे बातचीत और आश्वस्त करके निबटा जा सकता है के अलावा दो विधान हैं जो स्पष्ट रूप से कर्मचारियों की संख्या कम करने और भूमि की बिक्री को रोकते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में नौकरी की सुरक्षा का प्रावधान होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम करना प्राय: असंभव है तथा नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के कारण भूमि की बिक्री संभव नहीं है। ये दोनों विधेयक, 1976 में पारित हुए थे।

33.3.5 नौकरी सुरक्षा प्रावधान

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में 1976 में जोड़े गए दो महत्त्वपूर्ण धाराओं अध्याय पाँच-ख, द्वारा बड़ी फर्मों (वर्तमान में 100 या अधिक नियमित श्रमिकों के आकार के साथ) को किसी भी श्रमिक की छँटनी अथवा कामबंदी, अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना किसी भी इकाई को बंद करने की अनुमति नहीं है। विश्व में बहुत ही कम देश हैं जहाँ इस तरह के निश्चित प्रतिबन्ध हैं।

यद्यपि कि कानून का उद्देश्य अनुचित छँटनी और कामबंदी पर निगरानी रखना है यह प्रभावी रूप से नौकरी-सुरक्षा के लिए प्रावधान बन गया है क्योंकि व्यवहार में सरकार छँटनी अथवा इकाई को बंद करने की अनुमति नहीं देती है।

यह कानूनी सुरक्षोपाय कम से कम दो प्रकार से बाधा बन गया है। पहला, कानून का पालन करने वाला नियोक्ता श्रमोन्मुखी पुनर्गठन का कार्य नहीं कर सकता है (सरकार के विशेष व्यवहार के कारण), और इसके कारण उसे महँगे विकल्पों का सहारा लेना पड़ता है जो उतना ही प्रभावी नहीं भी हो सकता है। इस कानून का पालन करते हुए एक उपाय तालाबंदी करना तथा श्रमिकों को छोड़ने के लिए बाध्य करना है जो पृथक्करण भुगतान की बचत द्वारा दोहरा लाभकारी है।

'पृथक्करण वेतन' छँटनी पर लागू है किंतु नौकरी छोड़ने पर नहीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अनेक नियोजकों ने इस माध्यम का चयन किया और श्रमिकों को उनके उचित क्षतिपूर्ति से वंचित कर दिया। कुछ शोधकर्त्ताओं ने यह दिखाया है कि इस तरह के विधानों ने भी रोज़गार को कम किया है।

भूमि प्रयोग कानून: नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 भूसंपत्ति के आकार जिसे एक कंपनी अपने स्वामित्व में रख सकती है की अधिकतम सीमा विनिर्दिष्ट करता है। अधिकतम सीमा से अधिक भूमि की कोई भी मात्रा सरकार को किसी पूर्व-विनिर्दिष्ट दर पर बेचना अनिवार्य है। चूँकि फर्म इन दरों को बाज़ार दर से काफ़ी कम पाते हैं, वे इसे सरकार को नहीं बेचना चाहते हैं और वास्तव में साधन होने के बावजूद भी निधियों की कमी की समस्या से जूझते हैं। यह समस्या विशेष रूप से मुम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता में अनेक वस्त्र और जूट मिलों के लिए अत्यन्त गंभीर है।

बोध प्रश्न 3

1) बहिर्गमन समस्या के संदर्भ में किन-किन मुद्दों से निबटना है, स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

2) पुनर्गठन में कौन-सी प्रमुख कानूनी बाधाएँ हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) रुग्ण इकाई का कार्य संचालन जारी रखने में क्या हानियाँ हो सकती हैं सैद्धान्तिक विवेचना कीजिए?

.....

.....

.....

.....

.....

4) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) राजसहायता पर चल रही रुग्ण इकाई दूसरे लाभप्रद फर्म को रुग्ण कर सकती है। ( )

ख) प्रतिबन्धात्मक श्रम कानून पुनर्गठन में कोई समस्या नहीं उत्पन्न करते हैं। ( )

ग) भूमि प्रयोग कानून रुग्ण इकाइयों के लिए अप्रासंगिक है। ( )

घ) यदि एक फर्म का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है तो इसका त्वकाल परिसमापन कर देना चाहिए। ( )

33.4 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भूमिका

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो अर्ध-न्यायिक निकाय है और जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, को रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम के ढाँचे के अंदर रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन के लिए 'एकल-खिड़की' (एक ही स्थान पर) सुविधा के रूप में कार्य करना है। रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम के अनुसार, एक इकाई जो रुग्ण हो गई है, बी आई एफ आर को सौंपा जाना चाहिए और सिर्फ बी आई एफ आर के अनुमोदन से इसका पुनर्गठन किया जा सकता है।

विशेष रूप से बी आई एफ आर की प्रक्रिया, अनेक स्तरों जैसे संदर्भित करने, पंजीकरण, प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल, पुनर्गठन इत्यादि के कारण, समय लेने वाली है। यदि पुनर्गठन कार्यक्रम स्वीकृत हो जाता है, तब बी आई एफ आर पुनर्गठन के लिए आवश्यक निधियों का प्रबंध राष्ट्रीयकृत बैंकों से करता है। दूसरी ओर, यदि बी आई एफ आर पाता है कि फर्म का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, तब यह उच्च न्यायालय को परिसमापन की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए सूचित करेगा। इसके पश्चात् न्यायालय परिसम्पत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया तथा कंपनी अधिनियम 1956 के अनुरूप प्राथमिकता के क्रम में दावों के निपटान का पर्यवेक्षण करेगा।

प्रथम दृष्टि में, बी आई एफ आर प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, अन्य देशों में समान विनियामक निकायों की तुलना में कुछ भी असामान्य नहीं है। किंतु आम धारणा यह है कि बी आई एफ आर अपने उद्देश्यों, सही समय पर सही तरीके से हस्तक्षेप करने, को पूरा करने में विफल रहा। सी आई एस सी आर प्रतिवेदन में विशेष रूप से बी आई एफ आर की आलोचना की गई थी। इस प्रतिवेदन में कहा गया था कि बी आई एफ आर परिसमापन की सिफारिश करने में आवश्यकता से अधिक रूढ़िवादी था और पुनरुद्धार के मामले में इसकी सफलता दर तुच्छ थी। विलम्ब भी एक घटक था।

सी आई एस सी आर प्रतिवेदन में दावा किया गया कि 1987 और 1992 के बीच मंजूर बी आई एफ आर स्कीमों में से 62 प्रतिशत असफल थी जिसे बी आई एफ आर ने भी परोक्ष रूप से स्वीकार किया था। इसके बावजूद भी इसने परिसमापन की अपेक्षा पुनर्गठन की सिफारिश करने की बी आई एफ आर की प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं किया। यह विचार करते हुए कि परिसमापन अंतिम उपाय है, और बी आई एफ आर का मुख्य उत्तरदायित्व पुनरुद्धार में सहायता करना है, पुनरुद्धार के प्रति इसके झुकाव को आसानी से समझा जा सकता है। किंतु अधिक चिन्ता का विषय यह है कि एक रुग्ण फर्म को उसका पुनरुद्धार शुरू होने से पहले काफी लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सी आई एस सी आर समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि 1987 में पंजीकृत मामलों में से 15 प्रतिशत पर पाँच वर्ष बाद भी 1992 में निर्णय नहीं किया जा सका था। जैसा कि बीमारी के सभी मामलों में होता है, यहाँ भी समय का अत्यधिक महत्त्व होता है। विलम्ब से फर्म के पुनरुद्धार का अवसर कम हो जाता है।

तीन मुद्दों का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें बी आई एफ आर अपनी नीति में सुधार कर सकता है अथवा परिवर्तन कर सकता है। पहला बी आई एफ आर को अनिवार्य संदर्भ अत्यधिक वांछनीय नहीं है। यह फर्म द्वारा अपने पहल की गुंजाइश को, जब तक यह बी आई एफ आर के माध्यम से नहीं होता है, पूर्णतया समाप्त कर देता है। स्वैच्छिक संदर्भ एक बेहतर विकल्प होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि अनिवार्य संदर्भ के कारण बी आई एफ आर के सम्मुख मामलों की संख्या

में भारी वृद्धि हो गई, और यह भी अत्यधिक विलम्ब का कारण है। दूसरा, बी आई एफ आर सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाना पसंद करता है, जिसमें नि:संदेह व्यापक स्वीकार्यता (श्रमिकों, नियोजकों और वित्तपोषकों के बीच) का पुट रहता है। किंतु सर्वसम्मति में न सिर्फ बहुत समय लगता है अपितु इसमें सर्वोत्तम पहले अथवा दूसरे समाधान को भी छोड़ देना पड़ता है। इसके बदले में, पुनरुद्धार अथवा परिसमापन के निर्णय फर्म के सर्वोत्तम हित में लिए जाने चाहिए और उसके बाद स्वीकार्यता की दृष्टि से संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, सर्वसम्मति के कारण, न सिर्फ पुनर्गठन के प्रति झुकाव होता है, अपितु कतिपय स्कीमों के लिए अधिमानता भी होती है, जो कि सर्वोत्तम ही हो आवश्यक नहीं। व्यवहार में, विद्यमान प्रवर्तकों द्वारा बताई गई स्कीमों पर ही पहले विचार किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर के व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता है।

बी आई एफ आर की आलोचना करते समय हमें यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बी आई एफ आर मात्र अर्ध-न्यायिक निकाय है, और इसे कतिपय सीमाओं में काम करना पड़ता है। बी आई एफ आर के गठन के पश्चात्, हमारे सामने औद्योगिक रुग्णता के संबंध में कम से कम स्पष्ट दृश्य तो प्रस्तुत हुआ और हमें पता चला कि बहिर्गमन समस्या कहाँ है। नवीनतम प्रतिवेदन से पता चलता है कि बी आई एफ आर के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है।

तालिका 33.2 में हम दो वर्षों 1994 और 2000 के लिए बी आई एफ आर मामलों की संख्या में तुलना करते हैं। ये आँकड़े वर्ष 1997 से संचयी हैं। यह ध्यान रखने योग्य है कि 1994 से 2000 तक संदर्भ और पंजीकरण दोनों की संख्या करीब-करीब दोगुनी हो गई जो कि उदारीकरण पश्चात् अवधि में बढ़ी हुई रुग्णता का द्योतक है। वर्ष 2000 के अंत में निपटान दर 63 प्रतिशत (3296 पंजीकृत मामलों में से 2104 मामले निपटाए गए) पर है जो 1994 के स्तर से थोड़ा ही कम है। किंतु कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्टियों से उल्लेखनीय सुधार रहा है। वर्ष 1994 में, कुल निपटाए गए मामलों में पुनरुद्धार के लिए मंजूर मामलों का प्रतिशत 40 था जबकि 2000 में यह 26 प्रतिशत तक गिर गया। इसके साथ ही साथ परिसमापन के लिए सिफारिश किए गए मामले जो 1994 में 30 प्रतिशत थे 2000 में बढ़ कर 40 प्रतिशत हो गए। यह भी उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में पुनरुद्धार योजनाएँ अधिक प्रभावी थीं। वर्ष 2000 तक, सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 17 प्रतिशत मामलों में (45 में से 8) पुनरुद्धार योजना सफल हुई थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में यह 47 प्रतिशत (512 में से 241) थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि समय बीतने के साथ बी आई एफ आर के कार्य निष्पादन में भारी सुधार हुआ है।

तालिका 33.2 : बी आई एफ आर मामले (वर्ष 1987 से संचयी आँकड़े)

	वर्ष 1994 तक		वर्ष 2000 तक	
	कुल	कुल	निजी	सार्वजनिक*
क. संदर्भ	2207	4575	4324	251
ख. पंजीकृत	1602	3296	3121	175
ग. निपटारा	1150	2104	1990	114
ग.1 स्वीकृति पुनरुद्धार योजना	463	557	512	45
'अब रुग्ण नहीं' घोषित (ग.1 में से)	-	249	241	
ग.2 बंद करने की सिफारिश	343	824	789	35
घ. लंबित	452	1192	1131	61

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 1994-95 और 2000-01

नोट : * आँकड़ों में केन्द्र और राज्य दोनों की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ सम्मिलित हैं।

न्यायालय की भूमिका : यदि हम न्यायालय की भूमिका, जो परिसमापन के चरण में इस प्रक्रिया में सम्मिलित होता है, का उल्लेख नहीं करें तो हमारा विश्लेषण अपूर्ण रह जाएगा। जब रुग्ण इकाई को पुनरुद्धार के उपयुक्त नहीं घोषित कर दिया जाता है, तो यह मामला न्यायालय के हाथ में परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भेज दिया जाता है। इस चरण पर यह निर्धारित करना कि परिसम्पत्तियों की बिक्री के बाद किसे कितना मिलेगा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। चूँकि फर्म का शुद्ध मूल्य नकारात्मक है, सभी देनदारियों का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न प्राथमिकता निर्धारित करने का उठता है। अर्थात् कौन प्रतिभूत ऋणदाता है और कौन नहीं? न्यायालय को इन समस्याओं का समाधान करना होता है।

यह प्रक्रिया जटिल है और इसमें एक के बाद एक कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है :

(क) उच्च न्यायालय को परिसमापन आदेश पारित करना पड़ता है, और (ख) एक सरकारी परिसमापक नियुक्त करना होता है। (ग) परिसमापक को इकाई को भौतिक अभिरक्षा में लेना पड़ता है, और (घ) सभी वित्तीय तथा लेन-देन संबंधी रिकार्ड एकत्र करना होता है। (ड.) इसके पश्चात् परिसमापक उपलब्ध परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा तैयार करता है। (च) आगे, कंपनी के ऋणी को सूचना भेजना महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। (छ) यदि ऋणी भुगतान नहीं करता है, कंपनी परिसम्पत्तियों को बेचने संबंधी आज्ञापत्र न्यायालय से प्राप्त करना होता है जिससे वसूली प्रक्रिया शुरू की जा सके। (ज) तब बोली लगाने, दावों और प्रतिदावों की प्रक्रिया होती है। (झ) अंत:, विभिन्न दावेदारों के बीच प्राप्त राशि के वितरण का जटिल चरण आरम्भ होता है।

यहाँ, न्यायपालिका की सुस्ती से फर्मों का विनाश हो जाता है। सी आई एस सी आर के स्वतंत्र सर्वेक्षण में, यह पाया गया कि 42 प्रतिशत मामलों में (1857 इकाइयों के नमूना में से) परिसमापन की प्रक्रिया 10 वर्षों में पूरी हुई थी और 12 प्रतिशत मामलों में 30 वर्षों से भी अधिक समय लगा। यह निश्चित तौर पर असाधारण है। किंतु यह हमारी न्याय प्रणाली के लिए असामान्य नहीं जो हमेशा अत्यधिक बोझ से दबी रही तथा मंद रही।

बोध प्रश्न 4

1) उन प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन करें जिसके माध्यम से बी आई एफ आर रुग्ण कंपनियों से निपटती है।

.....

.....

.....

.....

.....

2) बी आई एफ आर की वे मुख्य विशेषताएँ क्या हैं जो आलोचना का विषय हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) न्यायालय द्वारा रुग्ण इकाई के परिसमापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

4) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) रुग्ण इकाई को संदर्भित करना स्वैच्छिक है। ( )

ख) बी आई एफ आर परिसमापन की सिफारिश कर सकती है। ( )

ग) परम्परागत रूप से बी आई एफ आर सम्यक् पुनर्गठन योजना निश्चित करने के लिए आम सहमति पर निर्भर करती है। ( )

घ) बी आई एफ आर के कार्य निष्पादन में कुछ मुख्य पहलुओं में हाल में सुधार हुआ है। ( )

ड.) परिसमापन की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण फर्म का निस्तारित संपत्ति मूल्य घटता है। ( )

33.5 राष्ट्रीय नवीकरण कोष

अलाभप्रद फर्मों को बंद कर देना अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के सर्वोत्तम हित में है। किंतु व्यक्तियों के कतिपय समूहों को हानि हो सकती है। इस तरह के फर्मों के श्रमिकों के सम्मुख नौकरी छूटने की परेशानी रहती है और इस मामले में इस समस्या का मानवीय आयाम है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए बहिर्गमन नीति को श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच का जरूर प्रावधान करना चाहिए। हमारे श्रम विधान में छँटनी की स्थिति में मुआवजा और पृथककरण वेतन का प्रावधान है। किंतु यदि एक फर्म में तालाबंदी की गई है अथवा यह रुग्णता के कारण बंद है तो यह प्रावधान उपयोगी नहीं है। इन फर्मों में श्रमिक कैसे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं?

श्रमिकों की परेशानी के समाधान के लिए सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की। यद्यपि कि यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, इसका कुछ अंश निजी क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध है। इस कोष का उपयोग कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाना है जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में श्रमिकों के पुन:प्रशिक्षण और पुन:नियोजन के लिए।

आरम्भ में श्रमिकों की प्रतिक्रिया उदासीन थी किंतु कुछ हद तक उनका दृष्टिकोण बदला है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है। 1997 तक, सार्वजनिक क्षेत्र में 1 लाख से अधिक श्रमिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) को स्वीकार किया था जिसे 'गोल्डन हैंडशेक' कहा गया। यह उचित भी था क्योंकि पेशकश द्विपक्षीय स्वरूप का था और क्षतिपूर्ति की राशि बहुत अधिक थी।

किंतु यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि वी आर एस का एक हानिकर पक्ष भी है। यद्यपि कि यह श्रम बल घटाने में प्रभावी है, ऐसा करने में कुशल श्रमिक हट जाते हैं तथा कम कुशल श्रमिक बने

रहते हैं। यदि एक श्रमिक यदि अपने सहकर्मी की तुलना में अधिक दक्ष अथवा कुशल है उसे अपने सहकर्मी की तुलना में इसी प्रकार की नौकरी बाहर पाने के अधिक अवसर हैं। अतएव, किसी भी वी आर एस राशि की स्वीकार्यता उसके लिए उसके सहकर्मी की अपेक्षा कहीं अधिक है। यही कारण है कि वी आर एस बेहतर श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों की अपेक्षा नौकरी छोड़ने के लिए अधिक प्रेरित करता है। इस समस्या को प्रतिकूल चयन की समस्या कहा जाता है जिसे सुलझाना अत्यन्त कठिन है।

बोध प्रश्न 5

1) राष्ट्रीय नवीकरण कोष के उद्देश्यों की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के नकारात्मक पहलू क्या हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

3) सही के लिए (हाँ) और गलत के लिए (नहीं) लिखिए।

क) वी आर एस अधिक श्रम बल को कम करने का साधन है। ( )

ख) वी आर एस अधिक कुशल श्रमिकों को नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ( )

ग) श्रमिकों का पुन: प्रशिक्षण और पुन:नियोजन वांछनीय नहीं है। ( )

घ) रुग्ण इकाइयों में श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ( )

33.6 सारांश

बहिर्गमन समस्या के मुख्य मुद्दों को जानने के बाद आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि बहिर्गमन नीति तैयार करने का अर्थ अनेक क्षेत्रों में सुधार करना है। इसका विधायी भाग का एवं श्रम और भूमि उपयोग कानूनों में परिवर्तन का ट्रेड यूनियनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अनेक राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, बी आई एफ आर और न्यायपालिका के कार्यकरण में तभी आमूल-चूल परिवर्तन किया जा सकता है जब सरकारी नौकरशाही में प्रशासनिक सुधार किए जाएँ।

ये विकल्प स्पष्ट हैं, किंतु जहाँ तक वास्तविक बाधाओं का संबंध है तथ्य यह है कि ये दूर नहीं किए जा सके हैं। ये बाधाएँ सिर्फ विभिन्न हित समूहों का विरोध नहीं है अपितु कुछ दुविधा भी है। यदि श्रम कानूनों को उदार बना दिया जाए, तो बड़े पैमाने पर छँटनी होगी और पृथक्करण वेतन

उत्तरदायित्वों का भी खूब उल्लंघन होगा। तब श्रमिक किसके पास जाएँगे? न्यायालय की प्रक्रिया अत्यन्त मंद है। नौकरशाही भी, जब तक कि आमूल-चूल सुधार नहीं किए जाएँ कुछ बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर सकेगा।

अतएव, जब तक स्वयं सरकार में सुधार नहीं किया जाए, यह अधिक उदारीकृत परिवेश में कानूनों और विनियमों को लागू करने में सक्षम नहीं होगा। जब तक यह ऐसा नहीं कर सके, सीधे छँटनी की अपेक्षा कठोर श्रम कानून होना श्रेयस्कर है। यह सिर्फ एक उदाहरण है जिसमें सरकार कर्तव्यबद्ध है। इसी तरह की समस्या भूमि और वित्तीय पुनर्गठन के मामले में भी पैदा होती है। संवर्धनकारी भूमिका ग्रहण करके (राज सहायता, सस्ती भूमि इत्यादि उपलब्ध कराकर) सरकार ने बहिर्गमन को विनियमित करने, यह देखने कि राजसहायता का दुरूपयोग नहीं हो, का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है। किंतु तब विनियम स्वयं बहिर्गमन प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं।

आय और रोज़गार अवसरों में सत्त् वृद्धि के साथ समय बीतने पर ही इसमें से कुछ समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी। पहले ही श्रम संबंध बदल रहे हैं जिसमें व्यापक सामूहिक समझौतों की अपेक्षा द्विपक्षीय समझौते अधिक हो रहे हैं। ठेके पर श्रमिकों को रखना नियोजकों को कठोर श्रम कानूनों से बचने का रास्ता दे देता है और नई पीढ़ी के श्रमिक भी जब तक वेतन प्रतिस्पर्धी है इस प्रवृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अब लाभ कमाने तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा गया है। इसलिए फर्म और श्रमिकों के बीच संविदात्मक संबंधों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा वित्तीय संस्थाएँ भविष्य में बहिर्गमन समस्याओं के समाधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं।

33.7 शब्दावली

अदृश्य हाथ (Invisible Hand) : अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महान ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा गढ़े गए इस शब्द का अभिप्राय बाज़ार के स्वतंत्र संचालन से है जो माँग के अनुरूप पूर्ति के लिए वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया की अवैयक्तिक प्रकृति की व्याख्या 'अदृश्य' से की गई है।

पुनर्गठन : एक फर्म का पुनर्गठन इसकी प्रौद्योगिकी, श्रम शक्ति, उत्पाद की दिशा और वित्तीय प्रबन्धन में परिवर्तन करके कई प्रकार से किया जा सकता है।

औद्योगिक रुग्णता : रुग्ण औद्योगिक कंपनियाँ अधिनियम के अंतर्गत रुग्ण इकाई वह है जो पाँच वर्षों से पंजीकृत है तथा इसकी निवल परिसम्पत्तियाँ नकारात्मक हो गई हैं।

परिसमापन : परिसमापन बहिर्गमन का अंतिम चरण है। कंपनी की परिसम्पत्तियाँ बेच दी जाएँगी तथा उससे प्राप्त राशि यथा संभव बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए आवंटित कर दी जाएँगी।

33.8 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

अनन्त, टी.सी., एस. गंगोपाध्याय और ओ. गोस्वामी, (1992). *इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया : इनिशियल फाइन्डिंग्स,* पेपर सं.2, स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग मंत्रालय, मार्च, 1992

ओमकार गोस्वामी इत्यादि, (1993). *रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल सिकनेस एण्ड कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग*, केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को प्रस्तुत।

साहा, बिभास, (1995). *फॉर्मिंग आर रिफार्मिंग दि 'एग्ज़िट पॉलिसी'*, किरीट पारीख (संपा.), मिड ईयर रिव्यू ऑफ दि इंडियन इकनॉमी : 1994-95, कोणार्क प्रकाशन, नई दिल्ली।

सांख्यिकी प्रकाशन

आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार

इंडियन लेबर ईयर बुक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार।

33.9 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 33.1 पढ़िए।

2) यह अति आवश्यक है क्योंकि रुग्ण फर्मों की संख्या में वृद्धि हो रही है और अनेक फर्म जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है अभी परिसमाप्त (exit) नहीं किए जा सकते हैं।

बोध प्रश्न 2

1) शब्दावली भाग पढ़िए।

2) रुग्ण फर्मों की संख्या की दृष्टि से लघु इकाइयों और ग़ैर लघु इकाइयों दोनों में औद्योगिक रुग्णता बढ़ रही है। तथापि, दोनों क्षेत्रों में प्रति रुग्ण इकाई बकाया ऋण में कुछ अंतर है। विस्तृत जानकारी के लिए भाग 33.2 पढ़िए।

3) अन्य उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, पुरानी प्रौद्योगिकी और सरकारी नीतियाँ। भाग 33.2 पढ़िए।

   (क) नहीं (ख) हाँ (ग) नहीं (घ) नहीं

बोध प्रश्न 3

1) मुख्यतः तीन मुद्दे रुग्णता, पुनर्गठन और परिसमापन।

2) औद्योगिक विवाद अधिनियम में नौकरी-सुरक्षा उपबंध और नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में भूमि-उपयोग कानून, दोनों 1976 में पारित हुए।

3) भाग 33.3 पढ़िए।

   (क) हाँ (ख) नहीं (ग) नहीं (घ) हाँ

बोध प्रश्न 4

1) सार्वजनिक क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं और पुनर्गठन की प्रक्रिया में प्रभावित श्रमिकों के पुन:प्रशिक्षण और पुन:नियोजन के वित्त पोषण के लिए।

2) नकारात्मक पहलू यह है कि कम दक्ष श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कुशल श्रमिकों द्वारा वी आर एस स्वीकार किए जाने की संभावना रहती है।

3) (क) हाँ (ख) हाँ (ग) नहीं (घ) हाँ।